

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशायी अभियन्ता(वि०/यॉ०)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स डेटा लाइव कम्प्युटर टेक्नोलॉजी
17/24 कस्तुरबा गॉंधी मार्ग
कचेहरी रोड, कटरा
इलाहाबाद

पत्रांक- 52 /अधि०अभि०(वि०/यॉ०)/वि०प्रा०/2018

दिनांक:- 14/5/2018

विषय:- इन्दिरा भवन के वाहय परिसर 7वां एवं 8वां तल प्राधिकरण कार्यालय में सी०सी०टी०वी० कैमरा प्रणाली बायोमैट्रिक के वार्षिक संचालन का कार्य।

महोदय,

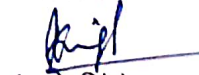
उपरोक्त कार्य की निविदा धनांक रु० 391645.00 की स्वीकृति आपके पक्ष में 2.52 % सर्व निम्न होने के कारण उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.05.2018 को प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा धनांक का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रु० 39165/- एवं शासनादेश संख्या-102286-355/स्टाम्प/73 एवं दिनांक 12-06-2006 आयुक्त स्टाम्प उ०प्र० इलाहाबाद के अनुसार रु० 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./ F.D.R/C.D.R. /Cash, के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी, तथा धरोहर धनराशि को जीब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 सपठित उ०प्र० नियमावली, 2009 के अनुसार रु० 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धों का भी अनुपालन किया जाय:-

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
 2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
 3. ठेकेदार को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
 4. शेष कटौतियाँ उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।
 5. ठेकेदार को नियमानुसार लेबर सेस व सर्विस टैक्स (यदि हो तो) आदि का भुगतान करना होगा।
 6. GST के सम्बन्ध में शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार दरें, वैट व अन्य टैक्स का समायोजन/भुगतान नियमानुसार किया जायेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
 7. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार GST का भुगतान करना होगा।
- उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

कार्य प्रारम्भ की तिथि:- 14/5/2018
कार्य समाप्त की तिथि:- 13/5/2019

भवदीय,



(ए०के०सिंह)

अधिशायी अभियन्ता(वि०/यॉ०)

प्रतिलिपि-

1. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9 म्योर रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक अभियन्ता(वि०/यॉ०)/अवर अभियन्ता(वि०/यॉ०) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशायी अभियन्ता(वि०/यॉ०)